



THE PLASTICS EXPORT  
PROMOTION COUNCIL

## दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

## THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ: Plex/Cir/203

दिनांक: 02 जून 2026

को

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) इकाइयों और विकासकर्ताओं द्वारा आयात पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ)/बीआईएस आवश्यकताओं की प्रयोज्यता - एफटीपी, 2023 के पैरा 2.03(ए)(iii) में संशोधन**

**संदर्भ: डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 16/2026-27 दिनांक 01.06.2026**

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि उपरोक्त अधिसूचना एफटीपी, 2023 के पैरा 2.03(ए)(iii) में संशोधन के संबंध में जारी की गई है, ताकि एसईजेड इकाइयों और डेवलपर्स द्वारा आयात के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) की प्रयोज्यता से छूट से संबंधित प्रावधानों को एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम, 2006 के प्रावधानों के साथ संरेखित किया जा सके और क्यूसीओ की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टता लाई जा सके।

एसईजेड आयात से संबंधित निम्नलिखित संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होते हैं, जो इस प्रकार हैं:

मौजूदा पैरा 2.03(ए)(iii)	संशोधित पैरा 2.03(ए)(iii)
<p>निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक इनपुट के आयात पर एसईजेड को बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत जारी अनिवार्य क्यूसीओ (QCO) की प्रयोज्यता से छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे इनपुट या उनसे निर्मित वस्तुओं के लिए डीटीए (डेटा ट्रांसपोर्टेशन एप्रीकल्चर) क्लियरेंस की अनुमति नहीं है।</p> <p>आयात के समय एसईजेड इकाई द्वारा संबंधित एसईजेड विकास आयुक्त को इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। क्यूसीओ से छूट केवल भौतिक निर्यात पर लागू होगी। यह छूट एफटीपी के पैरा 2.03 (सी) के अधीन है।</p>	<p>विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के भीतर अधिकृत संचालन के लिए आवश्यक सभी अनुमत वस्तुओं, जिनमें कच्चा माल, घटक, उपभोग्य वस्तुएं, पुर्जे और पूंजीगत वस्तुएं शामिल हैं, के आयात के लिए एसईजेड इकाइयों या एसईजेड डेवलपर्स को बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) की प्रयोज्यता से छूट प्रदान की जाएगी, जो एसईजेड अधिनियम, 2005 और उसके अंतर्गत बनाए गए एसईजेड नियम, 2006 के नियम 27 के प्रावधानों के अनुसार होगी।</p> <p>यह छूट केवल आयातित वस्तुओं के उपयोग के लिए ही विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के भीतर अधिकृत कार्यों के लिए लागू होगी। हालांकि, ऐसी वस्तुओं, या उनसे निर्मित या संसाधित वस्तुओं को एसईजेड से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में ले जाना, स्थानांतरित करना या निकासी करना, लागू गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की आवश्यकताओं और निकासी के समय लागू किसी भी अन्य कानून, नियम या विनियमों के अनुपालन के अधीन होगा।</p> <p>आयात के समय एसईजेड इकाई या एसईजेड डेवलपर द्वारा संबंधित एसईजेड विकास आयुक्त को उपरोक्त आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।</p>

इस अधिसूचना के अनुसार, एसईजेड इकाइयों और विकासकर्ताओं को एसईजेड के भीतर अधिकृत कार्यों के लिए आवश्यक अनुमत वस्तुओं के आयात पर बीआईएस गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) से छूट दी जाएगी। यह छूट केवल एसईजेड के भीतर उपयोग तक सीमित है। ऐसी वस्तुओं या उनसे निर्मित उत्पादों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में भेजने के लिए लागू क्यूसीओ, बीआईएस आवश्यकताओं और अन्य कानूनों का पालन करना होगा। आयात के समय संबंधित एसईजेड विकास अधिकृत को इस संबंध में एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक अधिसूचना यहां देखें:

[https://membership.plasticsepc.org/mails\\_images/20260602124103.pdf](https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260602124103.pdf)

यह आपकी जानकारी के लिए है।

सस्त्रेह,

भारती परवे

उप निदेशक - व्यापार एवं नीति

प्लेक्सकॉन्सिल